

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक - रीडर / 2022 / 577

दिनांक :- 15.7.2022

मुकदमा नंबर 33 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
1. रिमू खां वल्द करीम खां जाति मुसलमान सिंधी निवासी वेदरलाई तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. singhan Associates LLp, Flat No. LG- 1, Plot No, L-5, Shree shyam Resodency kriti Nagar. New sanganer Road. Mansarover, Jaipur जरिये पार्टनर अंकत जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन निवासी ब्यावर । 2. गफूर खां वल्द करीम खां 3. शेरू खां वल्द कादर खां 4. वली मोहम्मद वल्द कादर खां 5. गजरो बैवा कादर खां 6. हाजी पुत्र हेदर खां 7. नूरे खां पुत्र हेदर खां 8. अबु खां पुत्र हेदर खां 9. इब्राहिम पुत्र खीदु खां 10. वली खां पुत्र खीदु 11. हाजी खां पुत्र खीदु 12. रहमान खां पुत्र खीदु खां 13. समीया पुत्र दाउद खां 14. मूमल पत्नी दाउद खां जाति मुसलमान सभी निवासी वेदरलाई तह0 पचपदरा । 15. उषा बसल पत्नी अशोक कुमार जाति अग्रवाल साकिन बालोतरा 16. निजाम पुत्र वली खां 17. अवेश खां पुत्र हाजी अली 18. सदाम हुसेन पुत्र आसिन खां 19. हुकमसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपुत 20. प्रेमसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपुत निवासी सांभरा 21. लीला कंवर पत्नी दौलतसिंह जाति राजपुत नि0 सांभरा 22. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनांक :- 15.7.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सिन्धियो की ढाणी पटवारी क्षेत्र पचपदरा, भू-निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 1525/58 रकबा 28 बीघा 12 विस्वा विवादित भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी की है जिसकी के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने का प्रार्थी ने निवेदन किया है। विप्राथी संख्या 15 की और से जबाब में निवेदन किया कि वह प्रार्थी के खातेदारी खेत का पडोसी खातेदार नहीं है। विप्राथी संख्या -15 को गलत पक्षकार बनाया गया है। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी के द्वारा केवल मात्र अपने खातेदारी हक हकूक की भूमि की नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति नेखमबन्दी करने



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी )  
उप पंचायत अधिकारी  
( SDO ) पालीतरा

दिनांक :- 15/7/2022

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 578

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

उप पंचायत अधिकारी  
( SDO ) पालीतरा